

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
देवगिरी पुत्र राणगर जाति स्वामी, निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		खेतगर पुत्र नारायणगर जाति स्वामी, निवासी आरंग निवासी शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (10)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 185/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मंय इनिशियल्स जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.2021	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18.02.22 को पेश हो।	
18.02.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25.3.22 को पेश हो।	
25/03/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी उन्निवन्ना उपस्थित। पत्रावली बास्ते प्रतिवादीगण के नोटिसो अहंतगर दोसर आईन्दा दिनांक 29/04/2022 को पेश हो।	
29.4.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 01.6.22 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)



नियम 515
07-2316

17.05.22

13.03.26

पत्रावली प्रेषा कासी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली से प्रभावी पैरवी हेतु परसकालीन
वकील को न्यायालय सभा में रुक-रुक
कर आवेजें डी जागे के बावजूद कोई
उपस्थित। अतः पत्रावली से प्रभावी पैरवी नहीं
होने तथा अनुपस्थित रहने पर पत्रावली
इसी स्टेज पर अदम हालती व अदम पैरवी
में खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर उपस्थित
दस्ता हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)